भारत में वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम की दशा और दिशा : एक विश्लेषण

डॉ० जोगिन्द्र सिंह
प्रवक्ता, राजनीतिक विज्ञान,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, समरगोपालपुर (रोहतक)

जीएसटी देश में अप्रत्यक्ष कर प्रावधानों का तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है। सबसे पहले सैल्स टैक्स रहा, फिर वैट आया और अब पिछले एक दशक से जीएसटी की तैयारी है। इसे देश में अभी तक सबसे बड़ा टैक्स सुधार प्रावधान कहा जा सकता है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर पिछले दशक से अधिक समय से जारी रस्साकशी के बाद अब जीएसटी काउंसिल तेजी से कदम बढ़ा रही है।

मूल शब्द : केन्द्र सरकार–राज्य सरकार, व्यापारी, टैक्स स्लैब, कर्मचारी, क्रेडिट, कम्पनी, कर दाता, रिटर्न।

जीएसटी के उद्देश्य

1. अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली की जटिलता कम करना, ताकि लोगों को टैक्स देने में सुविधा हो सके।
2. इसके द्वारा महंगाई कम होगी और भारतीय जीडीपी दर बढेगी।
3. यह माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार का जीएसटी ढांचा 80 फीसदी सही दिशा में है। इससे कर चोरी में कमी आएगी।
4. भारत के सभी राज्यों में लगभग अधिकतर वस्तुओं पर एक समान कर दर होगी जिससे, 'एक कर – एक देश' की मूल अवधारणा का विकास होगा।

लेकिन लग्ज़री गुड्स और डेली यूज प्रोडक्ट पर एक ही कर दर नहीं हो सकती। पैट्रोलियम प्रोडक्ट और शराब पर राज्य अपने हिसाब से कर लगा सकेंगे, इससे देशभर में एक जैसे कर की बात भी नहीं रहेगी। प्रस्तावित जीएसटी प्रावधानों से कारोबारियों को अधिक रिटर्न भरने होंगे। इससे उनके ऑफिस खर्च में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी मॉडल से सेवाओं के महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर अधिक कर दर और सेस के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। 18 फीसदी से अधिक कर दर होने

से मंहगाई बढ़ने की आशंका भी रहेगी। जो प्रारुप हमारे सामने आ रहा है, उसमें कुछ कमियाँ भी सामने आ रही हैं। हालांकि केन्द्र सरकार का दावा है कि समय रहते इसमें सुधार कर लिया जायेगा।

चुनौतियाँ

जीएसटी काउंसिल में चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत पर सहमति बनी है। रिटर्न भरत समय टैक्स फ्री वस्तुओं और सेवाओं के लिए स्लैब अलग से होगा। पेट्रोल, शराब जीएसटी से बाहर हैं। इनके लिए अलग कर दर होंगी। सोने पर अलग टैक्स होगा। यह दो फीसदी हो सकती है। आईजीजीएसटी के लिए अलग दर होगी। अधिक दरों के कारण कारोबारियों की कोशिश होगी कि उनका उत्पाद या सेवा विशेष कम दर के दायरे में आए। इससे भ्रम की स्थिति बनेगी और साथ ही कानूनी मामले बढ़ने की आशंका भी रहेगी।

कर दाताओं को भरने होंगे 1 वर्ष में 61 रिटर्न

अभी ज्यादातर राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी में अधिकतम तिमाही रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन जीएसटी के प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक सेल, परचेज सहित 3 रिटर्न प्रति माह व्यापारी को भरने होंगे। यानी व्यापारियों को करीब 37 रिटर्न 1 वर्ष में भरने होंगे। अभी इनकी संख्या 16 है। टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स क्लेक्शन एट सोर्स) को मिला लें तो 1 वर्ष में 61 रिटर्न भरने होंगे। इससे ज्यादा रिकार्ड रखने होंगे। ऑफिस खर्च बढ़ेगा, जो कि व्यापारियों की समस्याओं को बढ़ायेगा।

एक–दूसरे के क्षेत्र में दखल देंगे केन्द्र और राज्य

जीएसटी में केन्द्र और राज्य की बराबर भागीदारी है। ऐसे में प्रशासन से जुड़ी परेशानियाँ हो सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल आधार पर तय करने पर विचार कर रहे हैं। टर्नओवर के आधार पर व्यापारियों को बाटेंगे और 1.8 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारियों के मामले अगर राज्य देखेंगे तो केन्द्र उन व्यापारियों के यहाँ अधिक कारोबार के नाम पर रेड़ आदि कर सकता है।

वहीं गुड्स या सर्विस के आधार पर बंटवारा होता है तो भी जटिलता रहेगी।

एक देश – एक कर भी संभव नहीं हो पा रहा है

पैट्रोलियम उत्पाद और शराब आदि पर कर जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। इन पर राज्य सरकारों को कर लगाने का अधिकार होगा। ऐसे में राज्य अलग–अलग कर दर तय करेंगे तो कर एकरूपता नहीं आयेगी। इससे 'एक कर – एक देश' की मूल अवधारणा भी खत्म हो जाएगी। साथ ही एक दर न होने के कारण भी एक प्रोडेक्ट की कीमतें अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग बनी रहेंगी। जीएसटी में राज्यों को कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे। उनके पालन में राज्यों में अंतर आ सकता है।

कर्मचारियों में अनुभव की कमी बड़ी समस्या

राज्य सरकार के सर्विस टैक्स और केन्द्र सरकार के एक्साइज विभाग के कर्मचारी वैट सहित कई अन्य करों से अच्छे से परिचित नहीं हैं या उन्होंने इसका कार्य पहले कभी किया नहीं है। जीएसटी में दोनों ही राज्य और केन्द्र सरकारों को गुड्स और सर्विस के मामले देखने होंगे। ऐसे में कर्मचारियों के कम अनुभव के कारण कार्य करते समय परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। हालांकि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य और केन्द्र दोनों सरकारें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। कर्मचारियों को जीएसटी की बारीकियाँ समझाई जा रही हैं, इससे केन्द्र और राज्य के प्रशासनिक नियन्त्रण के निर्धारण की समस्या भी बनी हुई है।

सरकार ने 14 जून 2016 को मॉडल जीएसटी कानून का पहला ड्राफ्ट जारी किया था। उस पर मिले संशोधनों के आधार पर नया ड्राफ्ट जारी किया गया है। कोई व्यक्ति किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करता है जिसके बारे में अलग पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है, तो उस पर अधिकतम 25,000 रूपए जुर्माना लगेगा। सरकार अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है।

नए ड्राफ्ट में मुनाफाखोरी के खिलाफ प्रावधान किया गया है। मान लीजिए किसी वस्तु पर अभी 24 प्रतिशत टैक्स लगता है। जीएसटी में टैक्स रेट घटकर 18 प्रतिशत रह गया तो कम्पनी के 6 प्रतिशत बचेंगे। कम्पनी को उत्पाद की कीमत इतनी कम कर लाभ ग्राहकों को देना पड़ेगा। ऐसा न करने पर कंपनी

पर जुर्माना लगेगा। इन सब पर नजर रखने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी।

कांग्रेस अधिकतम जीएसटी रेट को बिल में शामिल करने की मांग कर रही थी। इसको वर्तमान सरकार में मान लिया है। केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अधिकतम 14–14 प्रतिशत होगा। यानी जीएसटी 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जीएसटी लागू होने पर अगर राज्यों को किसी तरह का नुकसान होता है तो उन्हें तिमाही आधार पर भरपाई की जाएगी। जिससे राज्य अपने नुकसान की भरपाई कर सके। सालाना आधार पर गणना सीएजी करेगा। भरपाई 5 साल तक होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल होगा। जिससे किसी भी तरह का बोझ नहीं पड़ेगा।

जीएसटी के दायरे से बाहर उत्पाद

शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश जीएसटी दायरे में नहीं

पहले ड्राफ्ट में सिक्युरिटीज पर भी जीएसटी की बात थी। सिक्युरिटीज में बांड, शेयर, फंड भी आते हैं। इससे भ्रम की स्थिति ही थी। कहा गया कि निवेश रूक जाएगा। नए ड्राफ्ट में सिक्युरिटीज को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

एसईजेड को वस्तुओं की सप्लाई करने वाली कम्पनी पर भी टैक्स नहीं

एसईजेड यूनिट्स को वस्तुओं की सप्लाई करने वाली कम्पनियों को अभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है। ड्राफ्ट में इस सप्लाई को 'जीरो रेट' वाली श्रेणी में रखा गया है। सप्लायर ने जीएसटी वसूला है तो एसईजेड यूनिट उसका रिफंड क्लेम कर सकती है।

कम्पनी के फोन, लैपटॉप जैसे बिजनेस एसेट पर टैक्स नहीं

कम्पनियों कर्मचारियों को लैपटॉप, फोन जैसे 'बिजनेस एसेट' देती है। कर्मचारी इनका इस्तेमाल निजी कामों में भी करते हैं। पहले इस पर जीएसटी का प्रावधान था। पर यह तय करना मुश्किल है कि निजी इस्तेमाल कितना हुआ। इसलिए प्रावधान खत्म। यानी जीएसटी नहीं लगेगा।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम आसान और स्पष्ट

टैक्स क्रेडिट के नियम आसान किए गए। पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर भी इनपुट क्रेडिट में शामिल। कारोबारी को वस्तुएँ किस्तों में मिलती हैं तो आखिरी किस्त के बाद ही क्रेडिट लिया जा सकता है।

जमीन या बिल्डिंग किराये पर देना भी सेवा के दायरे में

लीज या किराये पर जमीन देने को 'सप्लाई ऑफ सर्विसेज' माना जाएगा। कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्स को बिजनेस के मकसद से लीज या किराये पर देना भी सेवा के दायरे में जाएगा।

ई–कॉमर्स कम्पनियों को भुगतान से पहले काटना होगा टीसीएस

फ्लिपकार्ट जैसी कम्पनियों को सप्लायरों को भुगतान से पहले टीसीएस (टैक्स क्लेक्शन एट सार्स) काटना होगा। सप्लायर को यह क्रेडिट के रूप में वापिस मिलेगा। इसलिए दाम नहीं बढ़ेंगे। टीसीएस का प्रावधाना ओला जैसी कार एग्रीगेटस पर लागू नहीं होगा।

गिरफ्तारी आदेश का अधिकार सिर्फ कमिश्नर स्तर के अधिकारी को

कम से कम ज्वाईंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी ही व्यक्ति या कंपनी के परिसरों की जांच के आदेश दे सकेंगे। गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार कमिश्नर स्तर के अधिकारी को होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अपनी बात को रखना होगा।

गलत बिल पर लगेगा जुर्माना

बिना इनवॉयस के सप्लाई करने, गलत इनवॉयस बनाने, टैक्स जमा नहीं करने, गलत जानकारी, गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट लेने जैसे मामलों में कम से कम 10,000 रूपये का जुर्माना लगेगा।

जीएसटी को लागू करने में केन्द्र सरकार प्रयासरत है और यह लगभग अपने अन्तिम चरण में है। केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दूरगामी सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखकर इसकी कमियों को दूर करना चाहिये, जिससे आम जनता को फायदा हो और भारत एशिया महाद्वीप में ही नहीं बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे।

संदर्भ सूची

1. दैनिक भास्कर, 3 नवम्बर, 2016, पृ० 4
2. टाईम्स ऑफ इण्डिया, 4 नवम्बर, 2016, पृ० 11
3. दैनिक ट्रिब्यून, 6 नवम्बर, 2016, पृ० 9
4. दैनिक भास्कर, 21 नवम्बर, 2016, पृ० 5
5. दैनिक भास्कर, 29 नवम्बर, 2016, पृ० 6
6. टाईम्स ऑफ इंडिय, 5 दिसम्बर, 2016, पृ० 4
7. दैनिक ट्रिब्यून, 6 दिसम्बर, 2016, पृ० 5
8. दैनिक ट्रिब्यून, 14 दिसम्बर, 2016, पृ० 4
9. दैनिक जागरण, 18 दिसम्बर, 2016, पृ० 4
10. दैनिक भास्कर, 18 दिसम्बर, 2016, पृ० 1
11. हरि भूमि, 25 दिसम्बर, 2016, पृ० 5